

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

राजस्थान सरकार

जीम

रवीमारखेड़ा

आदेश

प्रार्थीके "खाता गुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी

रवीमारखेड़ा

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार

दिवेर

की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान न्यू-राजस्व अधिनियम

दिवेर

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम

रवीमारखेड़ा

तहसील जीम

जिला राजसमंद की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 453

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	रवीमारखेड़ा	453	देवा पि. आशा	देवारावल पिला आशुरावल

पीठासीन अधिकारी
सहायक लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर

दिनांक :- 11/10/2025

क्रमांक :- 125/299

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार जीम को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद जोष किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री देवारावल पि. आशुरावल को सूचनाएं।
3. रक्षित पत्रावली

पीठासीन अधिकारी
सहायक लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर